न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 108/2017

1. श्री मीरा पत्नी रामस्वरूप जाति बलाई निवासी स्यार तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री गोपाल पुत्र सेवा जाति बैरवा।
2. संतोष पुत्री सेवा जाति बैरवा।
3. श्रीमती मथुरा पत्नी गोपाल जाति बलाई।
4. श्री गोपाल पुत्र भूरा जाति बलाई।
   समस्त निवासीगण स्यार, तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरवाड़ जिला अजमेर।

—अप्रार्थीगण

6. श्री रामलाल पुत्र माधु।
7. श्री राधाकिशन पुत्र माधु।
8. श्रीमती चांद बेवा माधु।
   समस्त जातिगण बैरवा निवासीगण स्यार हाल निवासी पीपरोली तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।

—प्रफोर्मा अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वकील 1. श्री निहाल चंद जैन, प्रार्थी।

निर्णय दिनांकः— 31.12.2019

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। वादवर्णित आराजी मौजा ग्राम स्यार तहसील सरवाड़ में स्थित है जिसक विवरण निम्न प्रकार से है।

विवरण आराजीयात

खाता सं.	खसरा नं.	रकबा	किस्म
125—137	1868	0.81 है.	बा.2
	1869	1.78 है.	बा.2

यह कि वर्णित आराजीयात प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त कब्जे काश्त की आराजीयात है। जिसमें प्रार्थीयां एवं अप्रार्थीगण का प्रत्येक का हिस्सा है तथा उसी अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। यह कि वाद वर्णित आराजीयात प्रार्थीयां एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त कब्जे काश्त की अविभाजित आराजीयात है जिसका विधिवत् रूप से विभाजन नहीं हुआ है जिससे कब्जे काश्त में विवाद होता है। इसलिए वाद वर्णित आराजीयात का विधिवत रूप से विभाजन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में हिस्से अनुसार दर्ज किया जाना न्यायोचित एवं न्यायसंगत है। यह कि दिनांक 26.07.2018 को अप्रार्थीगण व प्रार्थीयां के मध्य वाद वर्णित आराजीयात के विभाजन को लेकर विवाद हो गया जिस पर अप्रार्थीगण के प्रार्थीयां को ऐलानिया धमकी दी की हम आराजीयात के आगे के हिस्से पर कब्जा करके आराजीयात से तुम्हें बेदखल करके आराजीयात को अन्य दीगर व्यक्ति को बेचान हस्तांतरण करेगें तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड सकते हो। अप्रार्थीगण बिना विभाजन किये ही आराजीयात को बेचान करने की धमकी देकर प्रार्थीयां को बेदखल करना चाहते है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र वास्ते स्थायी

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

निषेधाज्ञा व बंटवारा हेतु पेश करना लाजमी है। यह कि वाद वर्णित आराजीयात को लेकर अप्रार्थीगण की नियत बद है। अप्रार्थीगण व नाजायज व अनाधिकृत तरीके से नियम एवं कानूनों के विरूद्ध जाकर प्रार्थीयां को उनके हिस्से की आराजीयात से बेदखल कर कब्जा करना चाहते है। यह कि अप्रार्थीगण अपने नाजायज उद्देश्य में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थीयां को अजहद क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन किया जाना कतई संभव नहीं है। यह की प्रार्थीयां का प्राईमा फैसाई केस है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीयां के पक्ष में है।
प्रार्थी द्वारा निम्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गएः–

- प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम स्यार संवत् 2071–2074
- प्रतिलिपी नजरीय नक्शा ग्राम स्यार

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हुए। बहस वादी वकील सुनी गयी पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 ता 4 वादगत भूमि में अभिलिखित खातेदार के रूप में दर्ज है। चूंकि प्रार्थी व अप्रार्थीगण वादगत भूमि में सह खातेदार के रूप में दर्ज है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी व अप्रार्थी के पक्ष में समान प्रतीत होता है।

चूंकि वादगत भूमि पर प्रार्थी व अप्रार्थी नम्बर 1 ता 4 सह खातेदार है और सहखातेदार की भूमि पर प्रत्येक इंच पर अपने स्वत्व तक प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माने जाने की विधिक अवधारणा है। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिंदु भी पूर्णतया प्रार्थी के पक्ष में प्रबल नहीं है।

प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य वादग्रस्त भूमि को लेकर विभाजन हेतु वाद लंबित है। प्रार्थी के हक व अधिकार गुणवगुण व साक्ष्य के आधार पर मूल वाद में तय किए जांएगें एवं प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत् प्रार्थी अपने पक्ष में सिद्ध करने में असफल रहे है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Taramati Vaishnava
Date: 2020.02.18 16:47:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: